भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1024
(दिनांक 22.11.2019 को उत्तर देने के लिए)

भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौता ज्ञापन

1024. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रेडियो और टेलीविज़न के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौता ज्ञापन हेतु कार्योत्तर सहमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत चयनित भारतीय और विदेशी प्रसारकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख): जी हां, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती और विदेशी प्रसारकों के बीच 27 समझौता-ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रसार भारती द्वारा विदेशी प्रसारकों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में निम्नलिखित का प्रावधान हैः

(क) संस्कृति, शिक्षा, पुरातत्व, इतिहास, विज्ञान, खेलकूद, समाचार आदि के क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आदान-प्रदान।
(ख) सह-निर्माण, समाचार एकत्रित करने, सामग्री के आदान-प्रदान, रेडियो सिग्नल के वितरण, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान, डिजिटलीकरण आदि के क्षेत्रों में सहयोग।
(ग) विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के उद्देश्य से कार्मिकों का परस्पर आदान-प्रदान।
(घ) इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने से प्रसार भारती और भागीदार देशों के बीच और अधिक सहयोग और समृद्ध विरासत एवं संस्कृति के आदान-प्रदान का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

*****